

# न्यायालय तहसीलदार नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

## ईशतहार

रा.प्र.क्र. 20/अ-20 (2) वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ-4-07/ सात-1/ 019 दिनांक 11.09.2019 के तहत नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन की कार्यवाही किया जाना है। राज्य शासन के प्रचलित गाईडलाईन दर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत के अनुसार आबंटन भूमिस्वामी हक में प्राप्त कर सकते हैं। अतः नगर पंचायत नवागढ़ स्थित शासकीय भूमि का विवरण नम्नानुसार है:-

| क्र. | खसरा नंबर | उपलब्ध रिक्त रकबा | भूमि का मौका स्थल विवरण             | अनुमानित मूल्य |
|------|-----------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1    | 659       | 0.85 हे.          | संबलपुर मार्ग शक्ति मंदिर से पहले   | 4106892        |
| 2    | 660       | 0.58 हे           | संबलपुर मार्ग इंदिरा आवास के पास    | 2802350        |
| 3    | 876/2     | 0.54 हे           | कोदूराम दलित महाविद्यालय के पीछे    | 2609084        |
| 4    | 881/2     | 0.34 हे           | कोदूराम दलित महाविद्यालय के पीछे    | 1642756        |
| 5    | 883/2     | 0.70 हे           | कौड़िया मार्ग बालक छात्रावास के पास | 3382146        |

एक ही भूमि के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्ड/भूमि को खुली निलामी के माध्यम से आबंटन किया जावेगा।

अतएव इच्छुक व्यक्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपरोक्त रिक्त शासकीय भूमिका आबंटन भूमि स्वामी हक में प्राप्त करने हेतु नियत दिनांक 10.07.2020 अपराह्न समय 3.00 बजे तक न्यायालय तहसीलदार नवागढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त नियत तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त आवेदनपर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर अंकित कर जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार  
नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.)